

कार्यालय सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक 1101/नग्राणि/सर्वे-भवन/2012

रायगढ़, दिनांक: 11-9-12

प्रति,

श्री भुवनेश्वर, नगर पालिका निगम
रायगढ़, (छ.ग.)

विषय :-

भवन निर्माण नियोजन सहमति प्रदाय करने बाबत ।

आवेदक ^{M/S} सोम श्रौट आडेण्डलपती पार्टनरशी सुभाष श्रौटवाल

संदर्भ :-

आपका पत्र क्रमांक 170 दिनांक 07/09/2012

इस कार्यालय का पत्र क्रमांक दिनांक

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में यथावर्णित ग्राम खेलाशुवा

पत्र सं. 10, 11/1 (ख) भू-खंड क्रमांक

रकबा 37.50-0 वर्ग मीटर/वर्गफुट भूमि पर नवीनीकरण निर्माण कार्य करने हेतु मानचित्र में दर्शाये

अनुसार संबंधी भवन निर्माण नियोजन सहमति छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के

अध्याधीन रखते हुये भवन निर्माण नियोजन सहमति जारी किया जाता है, बशर्ते कि :-


1. भवन का प्रयोजन आवासीय (विश्वविद्यालय प्रयोग) होगा ।
तथा आवासीय प्रयोजन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) से व्यववर्तन कराना होगा ।

2. प्रश्नाधीन स्थल के सामने वर्तमान मार्ग चौड़ाई 9.0 मी. जिसे 12.0 मी. करते हुए, मार्ग के मध्य से 6.0 मी. तथा बाजू मार्ग चौड़ाई को रखते हुए, उसके मध्य से तथा दोनों मार्गों के मिलान बिन्दु पर मानचित्र अनुसार की गोलाई दी जावेगी ।

3. निर्मित क्षेत्र भू-तल 911.25 amt. प्रथम तल 911.20 amt. द्वितीय तल 911.20 amt.
तृतीय तल 911.20 amt. कुल निर्मित क्षेत्रफल 5467.2 sqmt. निर्मित क्षेत्र 25%
चतुर्थ तल 911.20 amt. पंचम तल 911.20 amt.
प्रतिशत फर्शी क्षेत्र एवं भवन की ऊंचाई 4.8-0 मीटर से अधिक नहीं होगा ।

4. उपान्तीय खुली भूमि सामने 118.50 मीटर पीछे 6.51 मी. से

5. निर्माण कार्य करने के पूर्व संबंधित विभाग से अनिवार्य रूप से अनुमोदन / अनापत्ति प्राप्त किया जाये ।
6. भूमि स्वामित्व के विवाद होने पर दी गई नियोजन सहमति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी ।
7. नियमानुसार सहमति की कालावधि एक वर्ष होगी निर्धारित कालावधि में पूर्ण न होने पर वर्षानुवर्ष दो वर्ष तक विधि मान्य किया जावेगा ।
8. दी गई नियोजन सहमति के विपरित विकास करने पर स्वयमेव व्ययगत हो जावेगी ।
9. नियमानुसार प्रति 100 वर्ग मीटर भू-खंड क्षेत्र की दर से वृक्षारोपण किया जावेगा ।
10. फलाई एश से बनी सामग्री का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें ।
11. मानचित्र में लाल र्खीही से अंकित को ही निर्माण नियोजन सहमति प्रदान की जाती है ।
12. कॉलोनाईजर की रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें 1998 नियम 15 (क) के तहत कार्यवाही आवश्यक हो तो समक्ष अधिकारी के द्वारा कार्यवाही पूर्ण किया जावे ।
13. नियमानुसार रेन-वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था 30 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से की जावेगी ।
14.
.....


सहायक सचालक
नगर एवं ग्राम निवेश
रायगढ़ (छ.ग.)